उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2
संख्या–क0नि0–2-1270/ग्यारह–9(1)/08–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(118)–2014
लखनऊ: दिनांक: 26 सितम्बर, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची–एक एवं अनुसूची–दो में दिनांक 27 सितम्बर, 2014 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधन

(क) उक्त अनुसूची–एक में, कम संख्या 30 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात्:–

कम संख्या	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
30	कच्चा ऊन जिसमें जानवरों के बाल भी सम्मिलित हैं; **बाइसिकिल, ट्राइसाइकिल, साइकिल रिक्शा तथा इनके पार्ट्स, कम्पोनेन्ट्स, एक्सेसरीज, टायर एवं ट्यूब**

(ख) उक्त अनुसूची–दो में, भाग–क में, कम संख्या 19 की प्रविष्टि निकाल दी जायेगी।

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।